मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2006 (चैत्र 1, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, बृजेन्द्र तिवारी, लाल सिंह आर्य, सदस्य, चंबल संभाग अन्तर्गत उपजाऊ जमीन चंबल नदी के कटाव से नष्ट होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जसवंत सिंह राठौर, प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य, धार जिले के ग्राम मनावर निवासी व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री दुलीचंद उरैती, सदस्य, डिण्डोरी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं छात्रावासों हेतु सामान क्रय में अनियमितता होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, जगन्नाथ सिंह, कृष्णकुमार सिंह (भंवर साहव), सदस्य, सीधी जिले के ग्राम बघोड़ी में अनुसूचित जाति की बस्ती में आग लगाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री सत्यदेव कटारे, सभापति, लोक लेखा समिति का 215वां से 274वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री किशोरी लाल वर्मा,सदस्य, खण्डवा जिले के-

(क) पंधाना नगर स्थित कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ग) ग्राम दीवाल स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(घ) ग्राम आरूद स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ड) ग्राम धनगांव स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(च) ग्राम कोलाडीट स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
(छ) ग्राम कालमुखी से बागरदा तक सड़क बनाये जाने,
(ज) ग्राम बगमार स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा
(झ) ग्राम निमाड़खेडी से सुलगांव तक सड़क बनाये जाने,

(2) श्री अमर सिंह कोठार,सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पाड़ली के पास नेवज नदी पर बांध बनाये जाने,
(ख) ग्राम भीकनपुर के तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
(ग) ग्राम गुलावता के तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
(घ) ग्राम गुलावता से खुजनेर तक सड़क बनाये जाने,
(ड़) ग्राम कड़लावद से व्यावरा - माण्डू मार्ग तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,तथा
(च) ग्राम विदेशी के पास काली सिन्ध नदी पर बांघ बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 3 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2006 (क्रमांक 6 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक: 21 मार्च, 2006